कार्यालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (म.प्र.)

//परिपत्र//

क्रमांक-क्यू/कोराना/2020 नरसिंहपुर, दिनांक-27.06.2020

विषयः- कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में 04 जुलाई, 2020 तक जिला न्यायालय नरसिंहपुर एवं तहसील न्यायालय गाडरवारा व तेंदूखेड़ा में कार्य व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः- मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का परिपत्र क्रमांक-डी/2377 जबलपुर दिनांक 27 जून, 2020

भारत सरकार के द्वारा राष्ट्र व्यापी लॉक डाउन के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक-क्यू/5/जबलपुर दिनांक 25 मार्च, 2020 एवं उसके पश्चात् जारी विभिन्न परिपत्रों तथा परिपत्र क्रमांक-सी/1455 दिनांक-19 जून 2020 की निरंतरता में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में सीमित कार्य व्यवस्था की अवधि को 27 जून, 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया था।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक-क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर दिनांक 19 जून, 2020 के द्वारा जिला न्यायालय, नरसिंहपुर एवं तहसील न्यायालय, गाडरवारा में प्रकरणों की सुनवाई की व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के द्वारा उक्त व्यवस्था को 04 जुलाई, 2020 तक विस्तारित किया गया है।

अतएव रजिस्ट्री परिपत्र क्र0 डी/2377 दिनांक- 27.06.2020 के अनुक्रम में एवं इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक-क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर दिनांक 19 जून, 2020 के द्वारा की गई प्रकरणों की सुनवाई हेतु व्यवस्था 04 जुलाई, 2020 तक निरंतर जारी रहेगी।

इस अवधि में स्थापना का बार रूम केवल अभिभाषक सघं के सदस्यों के लिए इस शर्त के साथ खोला जायेगा कि वे सामाजिक दूरी एवं मास्क धारण करने सहित माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मापदण्डों और निर्देशों का पालन करेंगे।

अर्जेंट मामलों के साथ-साथ नियमित मामलों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक-ए/911 दिनांक 05 मई, 2020 के द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप जारी की जावे।

वरिष्ठ/कनिष्ठ, प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि अनुभाग, नरसिंहपुर/गाडरवारा /तेंदूखेड़ा समय- समय पर इस हेतु निरीक्षण करते रहें।

उपरोक्त अवधि में यदि कोई न्यायालय परिसर containment जोन/एरिया घोषित होता है तो वह न्यायालय उक्त जोन/एरिया non-containment जोन/एरिया घोषित होने की अवधि तक बन्द रहेगा और उनसे संबंधित अत्यावश्यक कार्यो की सुनवाई संबंधित न्यायाधीश के द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग अथवा अन्य उपयुक्त ढंग से अपने निवास से ही की जायेगी और यदि न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीश का निवास स्थान containment जोन/एरिया घोषित होता है तो ऐसे न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीश उक्त जोन/एरिया non-containment जोन/एरिया घोषित होने तक न्यायालय में उपस्थिति से मुक्त रहेंगे।

संलग्नः—
रजि.परिपत्र क्र.—डी/2377
जबलपुर दिनांक 27.06.2020

27.6.20
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर

987/20
पृष्ठांकन क्यू/कोराना/2020

नरसिंहपुर दिनांक—27.06.2020

प्रतिलिपिः—

01— माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02— प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर ।
03— जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर
04— पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर
05— समस्त न्यायाधीशगण, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर पालनार्थ प्रेषित।
06— सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे पैरालीगल वालेंटियर की हेल्प डेस्क पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।
07— अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि वे कृपया समस्त अधिवक्तागण को उक्त परिपत्र से अवगत करावे।
08— जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
09— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर पूर्ववत पालनार्थ प्रेषित।
10— लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नरसिंहपुर/गाडरवारा
11— जिला अभियोजन अधिकारी/सहायक लोक अभियोजन अधिकारी,नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा
12— सिस्टम ऑफीसर नरसिंहपुर/सिस्टम असिस्टेंट, गाडरवारा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला न्यायालय की ई मेल आई डी पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
13— मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कि न्यायालय समय पश्चात् प्रतिदिन न्यायालय परिसर को सेनेटाईज करावे।
14— अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

27.6.20
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर